पत्रांक–01 / स्था० (विविध)–44 / 2024 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राशिद इकबाल,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **Selection of Agency for Integrated Media & Communication Support for Strategic Communication and Public Outreach Enhancement Initiative for Urban Development and Housing Department, Bihar हेतु आगामी 04 वर्षों में वस्तु एवं सेवाकर सहित कुल ₹14,17,96,700.00 लाख (चौदह करोड़ सतरह लाख छियानवे हजार सात सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा डेटा आधारित संचार परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक एजेंसी का चयन किया जाना प्रस्तावित है। चयनित एजेंसी मीडिया इंटेलिजेंस रणनीतिक विश्लेषण तथा संचार अभियान योजना का उपयोग करते हुए विभाग के जनसंचार प्रयासों को सुदृढ़ करेगी। साथ ही विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों एवं पहलों का सटीक, प्रभावी एवं समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित करेगी तथा नागरिकों के साथ सहभागिता एवं संवाद को और अधिक सशक्त बनाएगी।

2. इसी उद्देश्य से Selection of Agency for Integrated Media & Communication Support for Strategic Communication and Public Outreach Enhancement Initiative for Urban Development and Housing Department, Bihar के लिए मुख्य अभियंता आधारभूत संरचना एवं परिवहन, दक्षिण बिहार उपभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आगामी 04 वर्षों में वस्तु एवं सेवाकर सहित का प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन कर उपलब्ध कराया गया है।

3. दिनांक–02.07.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति तथा दिनांक–08.07.2026 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

4. उक्त के आलोक में निम्न विवरणी के कॉलम–2 में अंकित योजना का कॉलम–3 में अंकित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र0स0	**योजना का नाम**	**तकनीकी अनुमोदन की राशि (राशि लाख में)**
1	*2*	*3*
1.	Selection of Agency for Integrated Media & Communication Support for Strategic Communication and Public Outreach Enhancement Initiative for Urban Development and Housing Department, Bihar	14,17,96,700.00

5. इस योजना पर होने वाली राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष से की जायेगीः–

माँग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2251–सचिवालय सामाजिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090– सचिवालय, उपशीर्ष–0005–नगर विकास एवं आवास विभाग, विपत्र कोड–48-2251000900005, विषय शीर्ष–28.02 संविदा सेवाएँ।

6. उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(i) योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा कराया जाएगा।

(ii) योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(iii) सक्षम प्राधिकार द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० (विविध)–44/2024 7626 /न0वि0एवं.आ0वि0/पटना, दिनांक–22/07/26

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री पंकज कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

22/07/26
सरकार के अवर सचिव।